कार्यालय प्राचार्य
शास.मो.ह.गृहविज्ञान एवं विज्ञान महिला
स्वशासी महाविद्यालय जबलपुर

जबलपुर, दिनांक : 09 / 08 / 2021

आवश्यक सूचना

समस्त स्नातक एवं स्नातकोत्तर विज्ञान एवं गृहविज्ञान की छात्राओं को सूचित किया जाता है कि मध्यप्रदेश के शासन के आदेश क्र. 041 / 249 / आउशि / शा–5अ / 2021, दिनांक 6 / 08 / 2021 के अनुसार कोविड–19 के संक्रमण के परिप्रेक्ष्य में सत्र 2020–21 की महाविद्यालयीन परीक्षार्थियों के लिये विशेष परीक्षा हेतु द्वितीय अवसर प्रदान किया गया है।

अतः बी.एस–सी. विज्ञान एवं गृहविज्ञान प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय तथा एम.एस–सी. विज्ञान एवं गृहविज्ञान द्वितीय एवं चतुर्थ सेमेस्टर की वे सभी छात्राएँ जो मुख्य (Open Book System) परीक्षा देने से वंचित रह गई थी, उन्हें परीक्षा देने का द्वितीय अवसर प्रदान किया जाता है। यह परीक्षा अगस्त 2021 के अंतिम सप्ताह में खुली किताब व्यवस्था से सम्पन्न होगी।

संदर्भित छात्राएँ महाविद्यालय के परीक्षा प्रकोष्ठ में दिनांक 20 / 08 / 2021 से पूर्व आवेदन करें एवं आवश्यक परीक्षा शुल्क जमा करें। समय सीमा के उपरान्त आने वाली छात्राओं के आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

संलग्न – आदेश की प्रति

9.8.21.
डॉ.श्रीमती ममता श्रीवास्तव
परीक्षा नियंत्रक
शास.मो.ह.गृहविज्ञान एवं विज्ञान महिला
महाविद्यालय जबलपुर
Controller of Examination
Govt. M.H.College of Home Science
& Science for Women, Jabalpur

09.08.2021
प्रभारी प्राचार्य
शास.मो.ह.गृहविज्ञान एवं विज्ञान महिला
महाविद्यालय जबलपुर
Principal
Govt. M.H. College of Home Sc.
& Sc. for Women, Jabalpur (M.P.)

कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश
सतपुड़ा भवन, भोपाल–462004

क्रमांकः 1041/249/आउशि/शा–5'अ'/2021 भोपाल, दिनांक 06/08/2021

प्रति,

1. **कुलसचिव,**
समस्त पारंपरिक/निजी/दूरस्थ विश्वविद्यालय, मध्यप्रदेश।

2. **प्राचार्य,**
समस्त शासकीय/स्वशासी/अनुदान प्राप्त अशासकीय/अशासकीय महाविद्यालय, मध्यप्रदेश।

विषय– कोरोना (कोविड–19) के संक्रमण के परिप्रेक्ष्य में सत्र 2020–21 की विश्वविद्यालयीन परीक्षार्थियों के लिए विशेष परीक्षा आयोजित कर परीक्षा का द्वितीय अवसर प्रदान करने के संबंध में निर्देश।

संदर्भ– (1) उच्च शिक्षा विभाग,मंत्रालय का आदेश कमांक 528/605/2021/38–3,भोपाल,दिनांक 31.03.2021

(2) कार्यालय आयुक्त,उच्च शिक्षा का पत्र कमांक 589/142/आउशि/शा–5'अ'/2021, दि. 4.5.2021

––0––

उपरोक्त विषय के संदर्भ में कोविड–19 के संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुए स्नातक प्रथम, द्वितीय तथा अंतिम वर्ष/स्नातकोत्तर, द्वितीय तथा चतुर्थ सेमेस्टर तथा अन्य समस्त पाठ्यक्रमों की समस्त परीक्षाएं ओपन बुक पद्धति से आयोजित किये जाने के निर्देश जारी किये गये है।

निर्देशित किया जाता है कि कोरोना (कोविड–19) के परिप्रेक्ष्य में छात्र हित को दृष्टिगत रखते हुए सत्र 2020–21 में आयोजित ओपन बुक परीक्षा में अपरिहार्य कारण से विश्वविद्यालयवार जारी समय–सारणी अनुसार परीक्षा में शामिल नहीं हो पाये है, ऐसे स्नातक प्रथम, द्वितीय तथा अंतिम वर्ष/स्नातकोत्तर द्वितीय तथा चतुर्थ सेमेस्टर तथा अन्य समस्त पाठ्यक्रमों के विद्यार्थियों के लिए विशेष परीक्षा अगस्त, 2021 के अंतिम सप्ताह में आयोजित कर उन्हें परीक्षा का द्वितीय अवसर प्रदान किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

(प्रशासकीय विभाग द्वारा अनुमोदित)

(चन्द्रशेखर वालिम्बे)
अपर आयुक्त
उच्च शिक्षा मध्यप्रदेश

क्रमांकः 1042/249/आउशि/शा–5'अ'/2021 भोपाल, दिनांक 06/08/2021

प्रतिलिपिः

1. निज सहायक, माननीय मंत्री जी, उच्च शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश भोपाल।
2. निज सहायक, मुख्यसचिव, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल।
3. निज सहायक, प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय,मध्यप्रदेश शासन, भोपाल।
4. प्रमुख सचिव के स्टाफ आफीसर, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, मध्यप्रदेश भोपाल।
5. निज सहायक,अपर आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, सतपुड़ा भवन मध्यप्रदेश भोपाल।
6. निज सहायक,कुलपति समस्त विश्वविद्यालय,मध्यप्रदेश।
7. अध्यक्ष, निजी विश्वविद्यालय आयोग, मध्यप्रदेश।
8. समस्त क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक,उच्च शिक्षा,मध्यप्रदेश।
9. वि.क.अ. आई.टी. शाखा, उच्च शिक्षा संचालनालय, सतपुड़ा भवन, भोपाल मध्यप्रदेश।

.........की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अपर आयुक्त
उच्च शिक्षा मध्यप्रदेश

Scanned by CamScanner